जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 22.10.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौसाना में 02 युवकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.10.2024 को वादी श्री सराफत पुत्र सफी निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के भतीजे आदिल व जुहवेब पर जिम से आते समय अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज, मारपीट कर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गम्भीर रुप से घायल करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौसाना में 02 युवकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के मामले में वांछित 04 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हरिओम कश्यप पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम महेन्द्रगढ़ मजरा टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.नीटू पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम महेन्द्रगढ़ मजरा टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.गौरव उर्फ गौरु पुत्र संसार सिंह निवासी ग्राम टोड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.सोनू पुत्र इंद्रपाल निवासी ग्राम झाडवन जनपद सहारनपुर हाल निवासी हाल पता किरायेदार जगदीश निवासी गली नं0 01 रामनगर कालोनी छोटूराम चौक के पास बबेल रोड पानीपत थाना किला जिला पानीपत हरियाणा

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 08.08.2024 को वादिया श्रीमती जमशीदा पत्नी शमशाद निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली नें अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज, मारपीट कर जानलेवा हमला करने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना से सम्बन्धित अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ आशू, अफसरुन व अहसान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सलमान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0सं0 458/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/74/333/352/351(2)(3) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 22.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.नौशाद पुत्र लतीफ निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 मामलों में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2009 में अभियुक्त रियाज पुत्र मकसूद निवासी नई बस्ती थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 267/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को माननीय न्यायालय JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 5,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2009 में अभियुक्त रियाज पुत्र मकसूद निवासी नई बस्ती थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 269/2009 धारा 5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.रियाज पुत्र मकसूद निवासी नई बस्ती थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI